अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 901 /नौ-7-2016-27...

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3.निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2016

विषय-वर्षा ऋतु को देखते हुए सम्भावित बाढ़/संक्रामक रोगों से निपटने हेतु पूर्व तैयारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.0616 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्न निर्देश दिये गये:-

(1) यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि दैवी आपदा विशेष कर बाढ़ से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु जहां-जहां से धनराशि मांगी गयी है, वहां कार्य सम्पन्न हुये हैं या नही तथा उनकी गुणवत्ता ठीक है या नही।

(2) जल भराव से सम्बंधित स्थलों को चिन्हित कर पानी निकासी हेतु आवश्यकतानुसार पम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

(3) नागर निकायों में बाढ़ राहत व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा उनके नाम, मोबाइल नम्बर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाये एवं सूचना राहत आयुक्त को भी उपलब्ध कराया जाय ।

(4) बाढ़ एवं जलभराव के नियंत्रण के लिये एक सुसज्जित कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था करायी जाय, जो 24 घण्टे कियाशील रहेगा। कन्ट्रोल रूम में ... शिफ्टों में अधिकारियों/कर्मचारियों को तैनात किया जाये तथा उनके मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराया जाये ।

(5) जलजनित रोगों के नियंत्रण हेतु पेयजल की नियमित क्लोरिनेशन तथा ओवर हैड टैंक की सफाई की जाय। संक्रामक रोगों से बचने हेतु कीटनाशक दवाईयों तथा एंटीलार्वा के छिडकाव तथा फागिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जाय। मच्छर जनित रोगों की रोक थाम हेतु एक निर्धारित शिड्यूल के अनुसार वार्डो में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से फागिंग की जाय।

(6) शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल, जल निकासी आदि कार्यो की नागर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर ली जाय, जिसमें

go-v

कमियाँ पाये जाने पर उनके निराकरण के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

2— कृपया शासन द्वारा पूर्व में भी आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए प्रदेश की नागर निकायों द्वारा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या—1967/नौ—7—16—27ज/2004 दिनांक 07 अप्रैल 2016 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है। अतः व्यक्तिगत ध्यान देते हुये उक्त निर्देशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12/7/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव,/सचिव, राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/खाद्य एवं औषधि प्रशासन/ऊर्जा/सिचाई एवं बाढ नियंत्रण/लोक निर्माण विभाग।
5— सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6— समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)
7— प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8— समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
9— नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10— कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v